

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

क्रमांक-

कार्यपत्रक प्रमाण-पत्र

(राज्य सरकार से अनुज्ञापति (लाइसेंस) प्राप्त-ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा।)

परोक्ष/स्वामी का नाम

जगदीश पाठक

ता/पति का नाम

स्वामी बाबा प्रसाद पाठक

रिसर की अवस्थिति

ग्राम-बलपुर पोठ-विरखेरा ब्लॉक-छोखुर

वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली-

लक्ष्मी व बलपुर-छोखुर

वोल्टता

400/440V

कलाओं (फेजों) की संख्या

Three Phase

ए.सी./डी.सी.

A.C

रिंग का प्रयोजन -

रिंग का प्रकार (बैटन कन्ड्यूट इत्यादि)

गपना की विशिष्टियाँ

P.V.C. Batten Wiring

200/230 वोल्ट्स						400/440 वोल्ट्स		उच्च/अति उच्च वोल्टता संस्थापन	
फेज 1		फेज 2		फेज 3					
संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल क्षमता	संख्या	कुल क्षमता

1) बत्तियों के प्वाइंट

10amp

2) पंखों के प्वाइंट

3) मोटरें/जनरेटर्स

(पूर्ण ब्यौरा दिया जाये)

योग-

10amp

न्य उपस्कार (पूरा ब्यौरा दिया जाये)

योजित भार किलोवाट में-

तम करंट मांग एम्पियर में

योजित भार के आधार पर

(२)

विद्युत (रिसाव विद्युत रोधी कम से कम एक मेगाओम होगा अथवा उतना होगा जितना भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट जाये)

ठेकेदार द्वारा विद्युत रोधी के परीक्षण का परिणाम-

(१) फेज एवं अर्थ के बीच

फेज-१ व अर्थ

फेज-२ व अर्थ

फेज-३ व अर्थ

(२) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच-

फेज १ व २

फेज २ व ३

फेज ३ व १

(३) तारों के मध्य-

नियम २६ :-

(१) बतायें कि वायरिंग का कार्य, प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार सहित के अनुसार है। *Yes*

(२) बतायें कि प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विची द्वारा नियंत्रित है। *Yes*

(३) बतायें कि समस्त स्विच विद्युत मान्य (जीवान्त) चालकों पर लगाये गये हैं। *Yes*

नियम ३२ :-

बतायें कि दो तार प्रणाली का अर्थ वायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पर्कित न्यूट्रल वायर पर स्थायी प्रकृति सूचक लगाया है जिससे कि ऐसे चालक की विद्युतमय (जीवान्त चालक) से सुमिन्न किया जा सके। *Yes*

सत्यापन प्रमाण-पत्र

हम..... लाइसेन्स प्राप्त विद्युत ठेकेदार, लाइसेन्स संख्या.....

न का सत्यापन करते हुए घोषणा करते हैं।

१) कि पूर्णोक्त विद्युत संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया है।

२) पुरोक्त अंकित संस्थापन का विद्युत रोधी परीक्षण मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परीक्षण परिणाम मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं।

३) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत नियम, १९५६ एवं भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के प्राविधानों के मुरूप किया गया है।

उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नांकित स्टाप द्वारा किया गया है।

रमैन का नाम..... परमिट सं०..... वैद्यता की तिथि.....

Manoj Kumar

हस्ताक्षर

सक का नाम..... प्रमाण पत्र सं० वैद्यता की तिथि.....

हस्ताक्षर

(३)

अप्रेन्टिस का नाम एवं हस्ताक्षर.....
.....

विद्युत ठेकेदार की फर्म का नाम
लाइसेन्स संख्या.. 100022
लाइसेन्स श्रेणी.. C class
वैधता का दिनांक.. 3 months-2024

ठेकेदार के हस्ताक्षर
M/s.-Mohit Electricals

घोषणा

(उपभोक्ता द्वारा की जाय)

[Signature]
Proprietor

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद लाइसेन्सी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत नियम, १९५६के प्राविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता... 1.5 Amp
..... एम्पीयर से अधिक नहीं है तथा संस्थापन में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी अथवा ओवर लोडिंग राज्य विद्युत परिषद लाइसेन्सी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही की जायेगी।

दिनांक.....

[Signature]
उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

परिक्षण रिपोर्ट

(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरी जायेगी)

वेद्युतरोधी प्रतिरोधी का परिणाम-

1) फेंज एवं अर्थ के बीच	<u>फेंज-१ व अर्थ</u>	<u>फेंज-२ व अर्थ</u>	<u>फेंज-३ व अर्थ</u>
2) तार के बीच-	<u>फेंज-१ व २</u>	<u>फेंज-२ व २</u>	<u>फेंज-३ व १</u>

विद्युत संस्थापन में पायी गयी कमियां (यदि कोई हो) एक कमियों को दूर कराने हेतु कृत कार्यवाही :-

१-
२-
३-
४-

दिनांक.....

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणकर्ता

का नाम एवं हस्ताक्षर

पद नाम

(४)

विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाणक

ण का परिणाम
ण संलग्न किया जाये)
ण तिथि

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
पद नाम